न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 61/2019 प्रार्थना पत्र

आवेश दशोरा पिता श्री पारसमलजी दशोरा जाति तेली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

––प्रार्थी

वनाम

1. सौरभ पिता सुरेशचन्द्रजी दशोरा जाति तेली आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रार्थीगण की और सेः– अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वेष्णव उपरिस्थित

आदेश

दिनांकः– 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की स्वामित्व अधिपत्य की आवासीय रुपांतरीत आराजीयात वाके मौजा मांगरोल प0ह0 मांगरोल तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 391 के आराजी नं0 334 रकबा 0.2800 हैक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ रुपांतरीत भूमि एवं आराजी नं0 336 रकबा 0.0400 हेक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ रुपांतरीत भूमि स्थित है। इसी प्रकार खाता नं0 576 की आराजी नं0 337 रकबा 0.2300 हेक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ रुपांतरीत भूमि एवं आराजी नं0 339 रकबा 0.0300 हेक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ रुपांतरीत भूमि एवं आराजी नं0 344 रकबा 0.1600 हेक्टेयर आबादी प्रयोजनार्थ रुपांतरीत भूमि स्थित हैं। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी पैश हैं। वादग्रस्त आराजीयात जिसके पुराने खाता नं0 126 के पुराने आराजी नं0 2608/981 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नं0 988 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा मे से 2496.13वर्गमीटर भूमि आवासीय रुपांतरीत रुपांतरीत भूमि जो मोहनलाल पिता बाबरु जी भील निवासी निम्बाहेडा के स्वामित्व अधिपत्य की थी एवं इसी प्रकार आराजी नं0 981 मीन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा मे से 2452.60वर्गमीटर भूमि पूर्व में बगदीराम पिता जोधा जी भील निवासी

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

2300 हेक्टेयर ...

जावदा के स्वामित्व अधिपत्य की आवासीय रुपांतरीत थी। उक्त आवासीय रुपांतरीत भूमि प्रार्थी द्वारा रजि0 विकय पत्र दिनांक 30/09/2011 को कय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। उक्त आवासीय रुपांतरीत आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने नक्षा ट्रेस में प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार तरमीम चली आ रही थी, तथा वर्तमान सेटलमेनट मे राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजीयात के नये आराजी नं0 336,334,337 जिनके पुराने आराजी नं0 981 मीन व आराजी नं0 2608/981 को नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रुप से तरमीम कर नक्षे को उत्तर दक्षिण चौडाई में छोटा कर दिया है और प्रार्थी की स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात के उत्तरी दिशा में आराजी नं0 333 को उत्तर दक्षिण चौडाई में तरमीम कर दर्ज कर दिया है उक्त आराजी नं0 333 विपक्षी नं0 1 की दर्ज शुदा है और उक्त जगह विपक्षी नं01 का कोई कब्जा किसी हैसियत से नही हैं उक्त तरमीम गलत रुप से राजस्व कर्मचारीयो की गलती की वजह से हुई है। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के पुराने नक्षा ट्रेस अनुसार, मौके पर काबिज अनुसार, अंकन कर कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आव यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिपोर्ट पेश करते हुए प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन किये जाने का निवदन किया हैं और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं ।

बहस सुनी गई । हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075 ग्राम मांगरोल की खाता संख्या 391, खाता संख्या 576 की प्रमाणित प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/20 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से रिपोर्ट,पर्चा मौका, नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की छाया प्रति प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी न0 186/12 जिसका नवीन आराजी न0 332 बना को नक्षे में भूप्रबंध अधिकारी ग्राम मांगरोल की आ0न0 334 रकबा 0.28 नही 0.15, आबादी प्रयोजनार्थ 0.23, श्री बगदीराम पिता जोधा भील सा. जावदा खातेदार मे दर्ज रिकार्ड हैं एवम् आराजी न0 337 रकबा 0.23 किस्म नहरी 0.02, आबादी प्रयोजनार्थ 0.22 आ0न0 339 रकबा 0.03 आबादी प्रयोजन श्री मोहनलाल पिता बाबरू भील सा0 निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जिसे वादी द्वारा रूपान्तरण जरिये विकय पत्र दिनांक 30.9.11 से कय किया गया हैं । यह कि ग्राम मांगरोल की आ0न0 333 रकबा 0.10 हे0 किस्म नहरी श्री प्रभुबाई पत्नि हेमराज मीणा सा. गुडली त0 छो0सा0 दर्ज हैं जिसे प्रतिवादी द्वारा बाद रूपान्तरण दिनांक 12.4.2012 को

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

क्रय किया गया हैं । वादी एंव प्रतिवादी की आराजी गत भू प्रबंधन साबिक नम्बरान ने बाद रूपान्तरण क्रय की गई हैं । प्रतिवादी द्वारा प्रभुबाई पत्नि हेमराज मीणा, नि0 गुडली से ग्राम मांगरोल की साबिक आ0न0 2588/981 रकबा 1/3 जिसके आराजीन न0 333 रकबा 0.10 बने हैं, क्रय की गई हैं के दोराने भू प्रबंध त्रुटिपूर्ण अंकन कर वादी प्रार्थी द्वारा क्रय शुदा मोहनलाल पिता बाबरू जी भील की साबिक आ0न0 2608/981 रकबा 111/3 जिसके नवीन न0 337 रकबा 0.23 हे0 बने हैं एवम आ0न0 334 के उत्तर दिशा में दर्शाया गया हैं । जबकि प्रतिवादी की भूमि प्रार्थीवादी की आ0न0 337 के दक्षिण में होनी चाहिये जिसकी पुष्टि रूपान्तरण साईट प्लान प्रति से स्पष्ट हैं । राजस्व नक्शे में निम्नानुसार संशोधन करने का आदेश दिया जाता है।

क्र0 स0	वर्तमान			प्रस्तावित		
	आ0न0	रकबा	खातेदार	आ0न0	रकबा	नाम खातेदार
1	333	0.10 नहरी	प्रभुबाई पत्नि हेमराज मीणा सा गुडली त. छो.सा	333 337 उत्तर दिशा	0.10 आबादी प्रयो0 0.18 नहरी 0.01 आबादी प्रयोजनार्थ 0.012	मोहनलाल पिता बाबरू जी भील सा. निम्बाहेडा
2	337	0.23 नहरी 0.01 आबादी प्रयोज 0.22	मोहनलाल पिता बाबरू भील सा. निम्बाहेड़ा	337	0.10 नहरी	प्रभुबाई पत्नि हेमराज मीणा सा. गुडली त0 छोटीसादडी

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामत किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

2300 हेक्टेयर आबादी